(3)

राजस्थान सरकार

उच्च शिक्षा

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (71) आकाशि/अनु/10/20/ दिनांक 25/3/2010

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के आधार पर आपकी संस्था को उसके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित संकाय/विषय हेतु तीन सत्रों (2010–11, 2011–12, 2012–13) के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	संचालक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
	71	सचिव, ज्ञायक रूपारी देवी धूलजी भाई चेरीटेबल ट्रस्ट, बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा	ज्ञायक महाविद्यालय, गामठवाड़ा रोड़, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर	मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– संगीत, अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्य, भूगोल, दर्शनशास्त्र, राजनीति विज्ञान, चित्रकला, मनोविज्ञान, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, समाजशास्त्र वाणिज्य संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त– एबीएसटी, ईएएफएम, व्यवसायिक प्रशासन बी.बी.ए., बी.सी.ए.

1. संस्था इन तीन सत्रों के पश्चात निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर सत्र 2013–14 में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित अवधि तक आवेदन करेगी, अन्यथा अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जावेगा।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यू.जी.सी. योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
4. संकाय/ विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तद्नुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के पश्चात ही नवीन विषयों व स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नयन के लिए पात्र होगी।
6. संस्था को तीन सत्रों की अवधि की समाप्ति तक मापदण्डानुसार भूमि क्रय कर उस पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
7. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
8. संस्था/ महाविद्यालय को यू.जी.सी. राज्य सरकार तथा बार कोंसिल द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/ दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।

Scanned with CamScanner

9. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/ महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
10. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
11. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा ।
12. संस्था आयुक्तालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में जमा करायेंगी ।
13. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

नोटः– उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त किया जा सकेगा।

स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मापदण्ड

(क) जिन्होंने तीन वर्ष की अवधि में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि एवं भवन की व्यवस्था कर ली हो ।
(ख) प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्ति का सम्बन्धित विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया हो ।
(ग) छात्र–छात्राओं की समुचित सुविधाओं का विकास कर लिया हो ।
(घ) संस्था के वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जा रहा हो ।
(ङ) विभाग के निरीक्षण दल के द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंषा की गई हो।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
5. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. कुल सचिव, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर ।
7. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय (रजिस्टर्ड ए.डी.)
8. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली ।
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (अनुदान).

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (140) आकाशि/नि.स./2010/.903 दिनांकः– 25.1.2018

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017–18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को पूर्व संचालित संकाय/विषय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है–

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम व पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	140	जायका कॉलेज, सागवाड़ा, जिला–डूँगरपुर	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय– चित्रकला, भूगोल, अंग्रेजी सा0, हिन्दी सा0, संस्कृत सा0, राज0 विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास। स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय– एबीएसटी, व्या. प्रशासन, ईएएफएम।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी0सी0आई0से संबद्धता प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ–2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।
4. संस्था को समय–2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी ।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format- II) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें । इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज–शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ट सहायक, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, डूंगरपुर।
4. कुल सचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर।
5. सचिव, सम्बन्धित महाविद्यालय ।
6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त–निदेशक (निजी संस्था)
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner